

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदय जी

जिसे 467 है कि प्रार्थी का नाम राम लाल सिंह नि
उप-केरिया के खाना सं. 461, 467, 468 में भंवर पिपरा दर्ज है
जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज व आद्याकार NO- 512/ 5168 9711
में भंवर सिंह पिपरा सिंह दर्ज है तब ही ग्राम-केरिया के
खाना सं. 461, 467 व 468 में भंवर पिपरा के बजाय
भंवर सिंह पिपरा सिंह दर्ज किया जाना इच्छित है।

प्रतिक्रिया

उपर बालमामु
रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार 30.9.2021

मुगबिऊ रिपोर्ट पटवारी व उपर के ग्राम-केरिया के खाना सं. 461
467, 468 में भंवर पिपरा के बजाय भंवर सिंह पिपरा सिंह
किया जाना इच्छित है।

तहसीलदार-माण्डल
जिला भीलवाड़ा

आदेश

तहसीलदार माण्डल की रिपोर्ट अनुसार ग्राम केरिया
के खाना सं. 461, 467, 468 में भंवर पिपरा के
बजाय भंवर सिंह पिपरा सिंह किये जाने का आदेश
दिया जाता है।

डॉ. पूरुषोत्तम
उपखण्ड माण्डल
प्रशासन 2021



उप खण्ड अधिकारी